उपभोग/उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिंदु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी संयुक्त शामलाती अविभाजित कृषि भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। इसलिए यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है, अतः यह बिंदु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. अपूरणीय क्षतिः– चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होना भी संभव है। इसलिए यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है, अतः यह बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली (राज.))

निर्णय आज दिनांक 27/11/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली (राज.))